

समक्ष डी. एस. तेवतिया और एस. एस. सोढी, माननीय न्यायमूर्ति

शांता देवी, आवेदक।

बनाम

आयकर आयुक्त,-प्रतिवादी।

1978 का आयकर संदर्भ संख्या 53।

5 अक्टूबर 1987.

आयकर अधिनियम (1961 का XLIII) - धारा 68 और 69 - "एक करदाता की पुस्तकें" - ऐसी पुस्तकों का अर्थ - साझेदारी फर्म की पुस्तकें - ऐसी पुस्तकें - क्या उन्हें व्यक्तिगत भागीदार की पुस्तकें माना जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि अभिव्यक्ति "किताबें" के संबंध में जोर "करदाता" शब्द पर है। दूसरे शब्दों में, ऐसी पुस्तकें स्वयं करदाता की पुस्तकें होनी चाहिए न कि किसी अन्य करदाता की। यहां साझेदारी फर्म के खातों की पुस्तकों को यहां एक व्यक्तिगत करदाता का नहीं माना जा सकता है और इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 68 वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं होगी।

(पैरा 5 और 7)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256(1) के तहत संदर्भ, 1976-77 की आई टी ए संख्या 571 निर्धारण वर्ष 1963-64 के लिए आर.ए. 1978-79 का क्रमांक 5. से उत्पन्न कानून के निम्नलिखित प्रश्न पर उच्च न्यायालय की राय मांगने के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (चंडीगढ़ बेंच) द्वारा निर्दिष्ट किया गया:

क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर अधिकरण यह मानने में सही था कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत जिस फर्म में करदाता भागीदार है, उसकी खाते की किताबें धारा 68 के

अनुसार करदाता का अपना हिसाब-किताब मानी जानी चाहिए और इस प्रकार करदाता के खाते में 8400 रुपये की वृद्धि की पुष्टि फर्म की पुस्तकों में जमा हुई मानी जाएगी?

याचिकाकर्ता के वकील राकेश कुमार जैन।

प्रतिवादी की ओर से वकील एल.के. सूदा

निर्णय

डी. एस. तेवतिया, न्यायमूर्ति

(1) अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस न्यायालय की राय के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न को संदर्भित किया: -

क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर अधिकरण यह मानने में सही था कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत जिस फर्म में करदाता भागीदार है, उसकी खाते की किताबें धारा 68 के अनुसार करदाता का अपना हिसाब-किताब मानी जानी चाहिए और इस प्रकार करदाता के खाते में 8400 रुपये की वृद्धि की पुष्टि फर्म की पुस्तकों में जमा हुई मानी जाएगी?

ऊपर दिए गए प्रश्न से संबंधित तथ्य इस प्रकार बताए जा सकते हैं:

करदाता मेसर्स प्रताप फाइनेंस कंपनी (पंजीकृत) बुढलाडा का भागीदार है। निर्धारण-वर्ष 1963-64 के आयकर के लिए उनकी आय का मूल्यांकन किया जा रहा था और आयकर अधिकारी द्वारा अज्ञात स्रोतों से 38,400 रुपये कर के दायरे में लाने की मांग की गई थी। यह राशि उक्त साझेदारी फर्म के खातों में 9 दिसंबर, 1961 की नकद क्रेडिट प्रविष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। उक्त फर्म के खाते की पुस्तकों को करदाता की पुस्तक माना गया और उक्त राशि को आयकर अधिनियम की धारा 68 के अनुसार कर के दायरे में लाया गया।

(2) अपील पर, अपीलीय सहायक आयुक्त ने करदाता के स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया, जिस पर आयकर अधिकारी ने अविश्वास किया था और उसे खारिज कर दिया और कर योग्य राशि से अज्ञात स्रोत से उक्त आय को हटा दिया। हालाँकि, अपील पर अधिकरण ने केवल 30,000 रुपये के संबंध

में करदाता के स्पष्टीकरण को स्वीकार किया और 8400 रुपये की शेष राशि के संबंध में करदाता के स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया और, इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 68 के तहत मूल्यांकन वर्ष 1963-64 के लिए करदाता की आय का आकलन करते समय उस राशि को ध्यान में रखा गया, यह मानते हुए कि साझेदारी फर्म की खाते की किताबें, उतनी ही मूल्यांकन-साझेदार की थी और, इसलिए, यह आयकर अधिनियम की धारा 68 थी, न कि धारा 69, जो आकर्षित हुई थी।

(3) करदाता के वकील ने तर्क दिया है कि *साझेदारी फर्म* व्यक्तिगत भागीदारों से अलग एक मूल्यांकन योग्य पहचान है और इस संबंध में *आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल बनाम ए.डब्ल्यू. फिगीज़ कंपनी और अन्य*¹ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से समर्थन लिया गया।

यह प्रस्ताव कि साझेदारी फर्म व्यक्तिगत साझेदार से अलग एक मूल्यांकन योग्य पहचान है, विवाद में नहीं है। प्राथमिक प्रश्न जो इस संदर्भ में विचारणीय है वह यह है कि 'क्या साझेदारी फर्म के खातों की पुस्तकों को भी व्यक्तिगत भागीदार के खाते की पुस्तकों में माना जाना चाहिए'?

(4) इस स्तर पर, आयकर अधिनियम की धारा 68 और 69 के दो प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा, जो निम्नलिखित शर्तों में हैं:-

“68. जहां किसी पिछले वर्ष के लिए रखी गई करदाता की पुस्तकों में कोई राशि जमा पाई जाती है, और करदाता उसकी प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, आयकर अधिकारी की राय में, संतोषजनक नहीं है। इस प्रकार जमा की गई राशि पर उस पिछले वर्ष के करदाता की आय के रूप में आयकर लगाया जा सकता है।

“69. अस्पष्टीकृत निवेश - जहां मूल्यांकन वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में करदाता ने ऐसे निवेश किए हैं जो आय के किसी भी स्रोत के लिए उसके द्वारा बनाए गए खाते की किताबों में दर्ज नहीं हैं, यदि कोई हो, और करदाता प्रकृति के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है और निवेश का स्रोत या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, आयकर अधिकारी की राय में, संतोषजनक नहीं है, निवेश का मूल्य ऐसे वित्तीय वर्ष के करदाता की आय माना जा सकता है।

यह निर्विवाद नहीं है कि यदि साझेदारी फर्म के खातों की पुस्तकों को व्यक्तिगत भागीदार का खाता नहीं माना जाता, तो 8400 रुपये की राशि जो कथित अघोषित आय का प्रतिनिधित्व करता है, उसे निर्धारण वर्ष 1963-64 के लिए

¹ (1953) 24 आई टी आर 4051

करदाता की आय के साथ कर में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि उस मामले में, आयकर अधिनियम की धारा 69 का प्रावधान लागू होगा।

(5) आयकर अधिनियम की धारा 68 के अवलोकन से पता चलेगा कि अभिव्यक्ति "किताबें" के संबंध में जोर "करदाता" शब्द पर है। दूसरे शब्दों में, ऐसी पुस्तकें स्वयं करदाता की पुस्तकें होनी चाहिए, किसी अन्य करदाता की नहीं।

(6) वर्तमान मामले में, माना गया है कि करदाता ने कोई खाता-बही नहीं रखी। नकद क्रेडिट प्रविष्टि, जिसमें प्रश्नगत राशि एक हिस्सा है, साझेदारी फर्म के खाते की पुस्तकों में पाई गई थी, जो अपने आप में एक करदाता है।

7) मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, साझेदारी फर्म के खातों की पुस्तकों को यहां व्यक्तिगत करदाता का नहीं माना जा सकता है और इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 68 वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं होगी।

(8) उपरोक्त दृष्टिकोण को **लक्ष्मी नारायण गुप्ता बनाम आयकर आयुक्त, बिहार**² से समर्थन प्राप्त है।

(9) विपरीत दृष्टिकोण वाला कोई भी निर्णय हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है।

(10) उपरोक्त कारणों से, हम प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देते हैं करदाता के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध और तदनुसार संदर्भ का निपटान करते हैं। कोई लागत नहीं।

एस सी के

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

शिवदेव शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अम्बाला, हरियाणा

² (1980) 124 आई टी आर 941

